सर्वोदय प्रेस सर्विस
आलेख

सर्वोदय समाचार विचार सेवा, 29, संवाद नगर, नवलखा, इन्दौर -452001 (म.प्र.) फोन एवं फैक्स : (0731) 401083

E.Mail - sarvoday@bom 4. vsnl.net.in

संचालन एवं सम्पादन : महेन्द्र कुमार

वर्ष : 41 : पुष्प : 33 | प्रकाशनार्थ | दिनांक 17-8-2001

सप्रेस आलेख : 42 : 2000 -2001

(इस आलेख का उपयोग तुरन्त किया जा सकता है)

एक हस्तक्षेप, 'नबआं' को प्रतिबंधित करने की बहस पर

✍ आशीष कोठारी

प्रस्तुत आलेख में लेखक ने अभी हाल में उठी 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित करने की मांग पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि देश भर के जनांदोलनों पर प्रतिबंध लगाना असल में जनता की सच्ची आवाजों को गुलामी के औपनिवेशिक दौर की तरह दबाया जाना ही होगा।

गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों ने मांग की है कि 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर दु:खद प्रभाव डालने वाला नहीं, तो भी हास्यास्पद तो है ही। लोक व्यवस्था और नैतिकता के इन अपने ढंग के निराले ठेकेदारों में अब प्रतिबंध लगाने की मांग करने की एक नई प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे मांग करते हैं कि इस फिल्म या उस नाटक पर प्रतिबंध लगाओ, संगठनों पर प्रतिबंध लगाओ, इस या उस संघ पर प्रतिबंध लगाओ। अब इस जत्थे ने उस आंदोलन को अपना निशाना बनाया है जो स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाला जन आंदोलन है। वह एक ऐसा आंदोलन है जिसने न केवल नर्मदा घाटी में जनाधार बनाया है बल्कि सारी दुनिया के मर्म को छुआ है। मजे की बात यह है कि यह मांग एक ऐसे समूह एन.सी.सी.एल. यानी नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् की ओर से की गई है जो खुद मानव अधिकार समूह होने का दावा करता है।

अहमदाबाद की इस संस्था द्वारा गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को जो ज्ञापन दिया गया है उस पर हस्ताक्षर करने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी, शंकरसिंह वाघेला, दिलीप पारीख, छबीलदास मेहता और सुरेश मेहता तथा मध्यप्रदेश की उपमुख्यमंत्री जमुनादेवी और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष राधाकिशन मालवीय शामिल हैं। कहा जाता है कि राधाकिशन मालवीय मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के विश्वास पात्र भी हैं।

ज्ञापन में गैर कानूनी गतिविधि कानून 1957 के अन्तर्गत 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित करने की मांग के साथ-साथ आंदोलन की तथाकथित विध्वंसकारी गतिविधियां, विदेशी धन प्राप्त करना, विदेशी एजेंसियों को देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रिपोर्ट भेजना, नर्मदा घाटी में मानव अधिकार हनन, आयकर का अपवंचन और परियोजना से प्रभावित लोगों तथा सर्वेक्षण एवं पुनर्वास के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा आदि बातें उजागर की गई हैं। कथित 'नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद्' के अध्यक्ष व्ही.के. सक्सेना को यह धमकी देते हुए उद्धृत किया गया है यदि केन्द्र ने 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित करने में विलंब किया तो इस मामले को वे हाईकोर्ट में ले जाएंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मांग स्पष्टत: हास्यास्पद है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' उन लाखों लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है जो अकारण ही विस्थापित कर दिए जाएंगे और जिन्हें अपनी भूमि और संसाधनों से बेदखल कर दिया जाएगा। यह सब उस परियोजना के लिए किया जाएगा जिसकी उपयुक्तता एवं वांच्छनीयता पर एक गंभीर प्रश्न लगा हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना पर किसी तरह की राय रखने के बावजूद जो भी व्यक्ति मानव अधिकारों के सिद्धान्तों से सहमत होगा वह मानेगा कि बेदखली को अन्यायपूर्ण मानने और उसका विरोध करने का उन्हें अधिकार है। ऐसी मांग को प्रतिबंधित करने पर जोर देना, और वह भी तथाकथित नागरिक स्वतंत्रता संगठन के द्वारा, निरर्थक और उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन यह मांग मात्र बेतुकी नहीं, खतरनाक भी है। इस मांग में यह सिद्धान्त निहित है कि सरकार के निर्णयों के विरुद्ध असहमति व्यक्त करना स्वभावत: राष्ट्र विरोधी है। गैर कानूनी गतिविधि कानून के शब्द और भावना के अनुसार यह एक अलिखित धारणा है कि राज्य कोई गलती नहीं कर

-2

◆ श्री आशीष कोठारी प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं इन मामलों पर लगातार लिखते रहने वाले लेखक हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक वे दिल्ली स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में प्राध्यापक थे और आजकल पूना में रहते हुए पर्यावरण, खासकर जैव विविधता के मामलों पर शोध, अध्ययन एवं लेखन में लगे हैं।

सकता और वह जो कुछ करता है वह राष्ट्र के हित में ही होना चाहिए। लोगों का भारतीय राज्य में इस प्रकार का मार्मिक विश्वास भी है। यदि प्रतिबंध की मांग करने वालों के असली हितों की स्पष्टता न हो तो ऐसी अंधी आस्था व्यक्ति को भावुक बना सकती है। लेकिन उनके असली हित बिल्कुल स्पष्ट है। परियोजना के प्रस्तावक दशकों से प्रचार कर रहे हैं कि सरदार सरोवर कच्छ और सौराष्ट्र के लाखों प्यासे लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बन रही है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वह अकालग्रस्त गुजरात को जीवन धारा उपलब्ध कराने के लिए भी नहीं है। वह तो सबसे अधिक उन बड़े किसानों, उद्योगों और मध्य गुजरात के बड़े नगरों के लिए है जिनकी बिजली और पानी की प्यास का कोई अन्त नहीं है। यह उन ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों के लालच को पूरा करने के लिए अधिक है जो ज्यादा बोली लगाने वाले को अपनी आत्मा भी बेच सकते हैं। यह विकास के एक असफल मॉडल को फिर से दोहराने के लिए अधिक है। परियोजना के निष्पक्ष एवं सच्चे विशेषज्ञ-मूल्यांकनों और अन्य उपलब्ध आंकड़ों ने बार-बार यह दिखा दिया है कि पानी अकालग्रस्त कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों तक मुश्किल से ही पहुंच पाएगा। वह वहां तक पहुंचे इसके पहले ही मध्य गुजरात के समृद्ध लोग उसे और समृद्ध बनने के लालच में गटक लेंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात के अकालग्रस्त लोगों के ये स्वघोषित मुक्तिदाता एक बहुत ठोस, जमीनी और विशेषज्ञों व कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाए गए अधिक सस्ते विकल्पों के बारे में सुनने को ही तैयार नहीं है। कच्छ और सौराष्ट्र के अकाल और जल के अभाव को दूर करने का उपाय है विकेन्द्रित जल संग्रहण। जहां ऐसी परियोजनाएं स्वयं ग्रामीणों द्वारा बनाई गई हैं तो वे इस क्षेत्र के अनेक गांवों में कारगर और अकाल मुक्ति की सफल रणनीति सिद्ध हुई हैं। लेकिन सरदार सरोवर परियोजना के प्रस्तावकों की इसमें रुचि नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ का उस 50 वर्ष पुराने भ्रम पर अब तक विश्वास हो कि इस प्यासे क्षेत्र को नर्मदा बांध ही राहत दिला सकता है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग यह मानते हों कि बड़ी परियोजनाओं से ही सम्पत्ति और सत्ता की राजनीति की जा सकती है, जो कि सीधे-साधे विकेन्द्रित तरीकों से नहीं मिल सकती।

प्रतिबंध की मांग लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के कारण भी खतरनाक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैधानिक दृष्टि से असहमति के अधिकार हमारे कठिन संघर्ष से प्राप्त किए गए लोकतंत्र में समाहित ऐसे अधिकार हैं, जिस पर भारत को गर्व है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की विशिष्टता है कि वह विगत 16 वर्षों से एक अहिंसक आंदोलन बना हुआ है। हिंसक घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन वे बहुत उत्तेजित किए जाने पर ही हुई हैं। फिर भी इस आंदोलन के नेताओं ने अपने को इस प्रकार की घटनाओं से अलग रखने का प्रयास किया है। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों से अहिंसक साधनों का प्रयोग करने की बात कही है। यदि 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का उद्देश्य हिंसक और राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाना होता तो हम, किसी जमाने में जो खून-खराबा पंजाब में हुआ और जो आज कश्मीर और कुछ उत्तरी राज्यों में हो रहा है, वैसा यहां भी देखते। नर्मदा घाटी में भी खून-खराबा जरूर हुआ है, लेकिन वह सरदार सरोवर परियोजना का शिकार होने वाले लोगो का हुआ है। पुलिसबलों द्वारा उन्हें पीटा गया है, उन पर गोलियां चलाई गई हैं और गिरफ्तार किया गया है। जब सरदार सरोवर परियोजना के कारण अपनी भूमि से बेदखल किए गए लोगों को वहां से हटाने के लिए तलोदा (महाराष्ट्र) की एक महिला को राज्य सरकार द्वारा गोली चलाकर मार डाला गया तब नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् का यह तथाकथित मानव अधिकार समूह कहां था ? अथवा जब महाराष्ट्र के ही सुरूंग गांव का 15 वर्षीय रहमल पून्या वसावे पुलिस द्वारा अक्राणी इलाके में बेदखली के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करते हुए मारा गया, तब ये लोग कहां थे ? अथवा जब आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गईं और ऐसी ही अन्य घटनाएं घटीं तब इनके कान पर जूं तक क्यों नहीं रेंगी ?

निश्चिय ही यह भी एक विडम्बना है कि जब नागरिक अधिकार की राष्ट्रीय परिषद् प्रतिबंध की मांग कर रही है तब नर्मदा घाटी के हजारों लोग डूब जाने की संभावना का मुकाबला कर रहे हैं। हाल के महीनों में अन्यायपूर्ण ढंग से बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण वे यदि अपने स्थान पर ही बने रहते हैं तो उनके डूबने की आशंका है। वे सत्याग्रह कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि परियोजना के न्याय संगत न होने और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था किए बिना ही उनकी भूमि डूब में आ रही है। यह सब मानव अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। लेकिन क्या नागरिक अधिकार की राष्ट्रीय परिषद् इसे मानती है ?

नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् का यह आरोप भी कि 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने विदेशी एजेंसियों को गोपनीय रिपोर्ट भेजी है, बिल्कुल हास्यास्पद है। यह आरोप इन समूहों के वास्तविक स्वभाव को उजागर करता है। यदि कोई नागरिक स्वतंत्रता समूह अपने नाम के अनुरूप है तो वह कहेगा कि विकास संबंधी दस्तावेज गोपनीय नहीं होते, क्योंकि वस्तुत: जनता को ऐसे सारे दस्तावेजों को देखने का अधिकार है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' तथा दर्जनों अन्य आंदोलनों ने हमेशा सूचना के ऐसे अधिकारों की मांग की है। सरदार सरोवर परियोजना में ऐसी क्या गोपनीयता है ? राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाले कौन से दस्तावेज भेजे गए हैं और किनको भेजे गए हैं ? यदि किसी ने उक्त दस्तावेज भेजने का अपराध किया भी है तो वे सरदार सरोवर परियोजना के सरकारी अधिकारीगण हैं जिसके लिए उत्तरदायी है राज्य और केन्द्र की सरकारें। ये सब राज्य की आंतरिक जानकारी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, बाहरी दानादाता एजेंसियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वे उन्हें ये जानकारियां इस आशा से देते हैं ताकि परियोजना को आर्थिक सहायता मिले। यह सरकार ही है जो भिक्षा-पात्र लेकर विदेशी एजेंसियों से भीख मांगने जाती है और वही विदेशी पूंजी के हितों के अनुरूप नागरिक अधिकारों और पर्यावरण के कानूनों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए उतारू रहती है। लेकिन यह भी राज्य ही है जो लगातार सूचना का अधिकार देने से इन्कार करता रहता है। वह इसमें उन लोगों को भी जोड़ लेता है, जिनका जीवन बांध के कारण उजड़ने वाला है। निश्चय ही यह एक अपराधिक व्यवहार है। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् की आंखों को यह दिखाई नहीं

देता। जाहिर है कि नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् के आरोपों की 'मिसाइल' गुमराह हो रही है।

इसके अलावा आंदोलन पर वित्तीय एवं आय के नियम-कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने बाहरी जांच-पड़ताल के लिए हमेशा अपने हिसाब-किताब को खुला रखा है। लेकिन उसने यह मांग भी की है कि सरदार सरोवर परियोजना के अधिकारीगण और गुजरात सरकार भी ऐसा ही करें। बराबरी की इस चुनौती को बांध बांधने वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया है।अत: प्रश्न है कि किसका व्यवहार शंकास्पद है ? गुजरात के विकास लिए जितना धन रखा जाता है उसमें से कितना उन लोगों के पास तक पहुंचता है जो उसके सही हकदार हैं और कितना शासन करने वाले निहित स्वार्थों के पास पहुंच जाता है ? यदि नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् मानव अधिकारों, आर्थिक अनियमितताओं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सचमुच परेशान है तो उसे ये प्रश्न पूछने चाहिए। इसके लिए उसे कागजी जिंद खड़े नहीं करने चाहिए। आखिर 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाने में उसने कितना धन बर्बाद किया है ? और यह धन उसे कहां से मिलता है ?

हाल ही में की गई प्रतिबंध की इस मांग के संबंध में सबसे बड़ी विडम्बना है कि इसका समर्थन एक के बाद एक गुजरात के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किया है। ये वे ही मुख्यमंत्री हैं जो दशकों से गुजरात के अकालग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने में असफल रहे हैं। जो उन राष्ट्र विरोधी साम्प्रादायिक ताकतों को कुचलने में असफल या अनिच्छुक रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों को आतंकित करते हैं और उन अविश्वसनीय एवं विनाशकारी औद्योगिक शक्तियों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिन्होंने गुजरात के स्वच्छ जल और वायु को अत्यंत महंगी वस्तुएं बना दिया है। कच्छ और सौराष्ट्र दोनों को पीने और सिंचाई का पानी विकेन्द्रित प्रणाली से एक दशक में ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इस बात को नई-नई पंचायतों एवं अशासकीय संस्थाओं ने सफल प्रयोगों के द्वारा स्थापित करके दिखा दिया है कि कृषि, उद्योग और बिजली का वैकल्पिक, विकेन्द्रित और शांतिपूर्ण विकास संभव है। अनेक संवेदनशील सरकारी अधिकारियों ने भी दिखा दिया है कि यह संभव है। कच्छ और सौराष्ट्र को पीड़ामुक्त करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना जैसी भारी-भरकम क्षण-जीवी योजना की जरूरत नहीं है। उसके लिए नई और भागीदारीवाली विकास की प्रक्रिया चाहिए। सच्चा विकास प्रारंभ करने के लिए ऐसे बड़े भारी कोष नहीं चाहिए, जो लोगों को कर्ज के बंधनों में हमेशा के लिए कस दें। यदि जनता विकेन्द्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ जुड़ जाती है तो यह काम सस्ते में भी हो सकता है। ग्रामीणों और 'तरुण भारत संघ' नामक एक अशासकीय संस्था द्वारा राजस्थान के 600 ग्रामों में लाई गई क्रान्ति को देखिए। यह काम उन्होंने जोहड़ों का जाल-सा फैलाकर कर दिखाया है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' इसी प्रकार के विकास की वकालत कर रहा है।

नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् की प्रतिबंध की इस मांग को देशभर की जनता के नागरिक आंदोलनों पर बढ़ते आक्रमणों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। यह शायद एक संयोगभर नहीं है कि ये सन् 1960 में तब से स्पष्टत: बढ़े हैं जबसे भारत सरकार ने भू-मंडलीकरण के रास्ते पर कदम रखे हैं ? इस प्रकार के रास्ते पर चलने के लिए उद्योगों की भू-मंडलीय शक्तियों और पूंजी को प्राकृतिक संसाधन तथा सस्ता श्रम चाहिए। इसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो ऐसे संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं और जो जमीन के सबसे निकट हैं। सरकार द्वारा समर्थित बहुराष्ट्रीय खनन के हितों के विरुद्ध अपनी जमीन और जंगल की रक्षा करते हुए काशीपुर (उड़ीसा) के आदिवासियों पर गोली चालन, उमरगांव (गुजरात) में एक अन्यायपूर्ण बन्दरगाह के विरुद्ध स्थानीय लोगों का नेतृत्व करने वाले कर्नल प्रतापराव सावे की हत्या, झारखण्ड के प्रस्तावित कोइलकारो बांध से होने वाले विस्थापन का विरोध करने वाले कई कार्यकर्ताओं को गोली से उड़ा देना, सभी कथित जनविरोधी और जनता के समूहों को प्रतिबंधित करने के लिए मध्यप्रदेश का ताजा 'स्पेशल एरिया सिक्यूरिटी एक्ट' और ऐसी ही बहुत-सी बातें भू-मंडलीकरण और बाजारीकरण के कारण अपनी जीविका से वंचित लाखों लोगों के विरुद्ध औद्योगिक एवं शहरी वर्गों के पक्ष में काम करने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं।

अन्त में आशा की यही एक किरण है कि नागरिक सुरक्षा की राष्ट्रीय परिषद् कुछ हताश दिखाई देती है। प्रतिबंध की मांग इसी अनुभूति का परिणाम है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सचमुच जनता की ताकत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की परेशानी क्यों मोल लेता ? यदि ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार और सुप्रीम कोर्ट उनकी ओर से अपने कान क्यों बंद करते ? और अपनी बात मनवाने के लिए वे गोली का सहारा क्यों लेते ?

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित कर दीजिए। उस राष्ट्रीय मंच को प्रतिबंधित कर दीजिए, जिसमें लाखों मछुआरे हैं और जो समुद्री क्षेत्र के व्यापारीकरण और निजीकरण को रोकने की बात कर रहे हैं। नेशनल अलायन्स ऑफ पीपुल्स मूव्हमेंट पर प्रतिबंध लगाइये। इन्हें और ऐसे सभी आंदोलनों को प्रतिबंधित कीजिए जो जमीन से जुड़े हुए लोगों की सच्ची आवाज हैं। लेकिन यदि भारत सरकार सचमुच नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् जैसी संस्था की आवाज पर ध्यान देती है तो वह ऐसा अपने को औपनिवेशिक राज्य कहे जाने का खतरा उठाकर कर सकती है। माना जा सकता है कि आधी शताब्दी पहले की औपनिवेशिक ताकतों के बाद, उसके भी उखाड़ फेंके जाने की अवंश्यभावी आशंका है। दूसरी ओर यदि सरकार में थोड़ी भी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता बची है तो वह नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् और उसके समर्थकों से कहे कि वे अपने बिस्तर-बोरिया लपेट लें।

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद् के व्ही.के. सक्सेना के विरुद्ध एक अपराधिक मामला दर्ज करवाया है और म.प्र. की उपमुख्यमंत्री जमुनादेवी को एक नोटिस दिया है। आशा है संबंधित अदालतें इतनी ईमानदारी और साहस दिखाएंगी कि इन नैतिकता के झण्डाबरदारों पर मुकदमा चलाए और उनका असली चेहरा जनता को दिखाए। ● (सप्रेस)

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **सर्वोदय प्रेस सर्विस** के नाम भेजें।